कृषि, सिंचाई और ग्रामीण

1. हम उन राज्यों को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव करते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित आदर्श कानूनों को क्रियान्वित करते हैं:

(क) मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम, 2016

(ख) मॉडल कृषि उत्पाद और पशुधन विपणन (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2017 और

(ग) मॉडल कृषि उत्पाद तथा पशुधन संविदा कृषि और सेवाएं (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2018

2. पानी की कमी से संबंधित मुद्दे अब देशभर में गंभीर चिंता का विषय हैं। हमारी सरकार पानी की समस्या से जूझ रहे 100 जिलों के लिए व्यापक उपाय किए जाने का प्रस्ताव कर रही है।

3. जुलाई, 2019 में प्रस्तुत अपने बजट भाषण में मैंने कहा था कि "अन्नदाता" "ऊर्जादाता" भी हो सकता है। पीएम–कुसुम स्कीम से डीजल ओर केरोसिन पर किसानों की निर्भरता समाप्त हुई है और उन्होंने अपने पंप सेट सौर ऊर्जा से जोड़े हैं। अब, मैं स्टैण्डअलोन सोलर पंप स्थापित करने के लिए 20 लाख किसानों को यह सुविधा मुहैया कराने का प्रस्ताव करती हूं; इसके अलावा, हम अन्य 15 लाख किसानों को उनके ग्रिड से जुड़े पंप सेट को सौर ऊर्जा आधारित बनाने के लिए भी मदद करेंगे। इसके अतिरिक्त, किसानों को उनकी खाली पड़ी/बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा निर्माण क्षमता स्थापित करने और उस ग्रिड को बेचने में समर्थ बनाने की स्कीम आरंभ की जाएगी।

4. हमारी सरकार पारंपरिक जैविक तथा अन्य नवाचारी उर्वरकों सहित सभी प्रकार के उर्वरकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देगी। मौजूदा प्रोत्साहन प्रणाली, जो रसायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल को बढ़ावा देती है, में परिवर्तन के लिए यह एक आवश्यक कदम है।

विकास हेतु 16 कार्यबिंदु

5. भारत के पास कृषि भंडारण, शीतगृह, माल ढुलाई वैन की सुविधाओं की 162 मिलियन मीट्रिक टन की अनुमानित क्षमता है। नाबार्ड इन्हें मापने और जिओ टैग करने की कवायद करेगा। इसके अलावा, हम माल गोदाम विकास और विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) के मापदंडों की तर्ज पर मालगोदाम बनाने का प्रस्ताव करते हैं। हमारी सरकार ब्लॉक/तालुक–स्तर पर ऐसे कार्यक्षम मालगोदाम स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण मुहैया कराएगी। इसे हासिल किया जा सकता है, जहां राज्य भूमि की सुविधा दे सकते हैं और यह पीपीपी मॉडल पर हो। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) अपनी भूमि पर भी ऐसे भंडारण बनाएंगे।
6. बैकवर्ड लिंकेज के रूप में, ग्राम भंडार स्कीम स्वयंसहायता समूहों द्वारा चलाए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। इससे किसानों को एक अच्छी धारिता क्षमता मुहैया होगी और उनकी लाजिस्टिक लागत कम हो जाएगी। महिला स्वयंसहायता समूह धन लक्ष्मी के अपने ओहदे को पुनः प्राप्त करेंगे।
7. दूध, मांस तथा मछली समेत खराब होने वाली वस्तुओं के लिए एक अबाधित राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए भारतीय रेल पीपीपी मॉडल के जरिए "किसान रेल" चलाएगी; एक्सप्रेस तथा मालगाड़ियों में रेफ्रिजरेटिड कोच होंगे।
8. नागर विमानन मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर कृषि उड़ान की शुरुआत करेगा। इससे विशेष रूप से पूर्वोत्तर तथा जनजातीय जिलों में मूल्य प्राप्ति में सुधार करने में अत्यधिक मदद मिलेगी।
9. बागवानी क्षेत्र ने 311 मिलियन मीट्रिक टन के अपने वर्तमान उत्पाद के चलते खाद्यान्नों के उत्पाद को पीछे छोड़ दिया है। बेहतर विपणन और निर्यात के लिए, हम उन राज्यों को सहायता देने का प्रस्ताव करते हैं जो क्लस्टर आधार अपनाते हुए "एक जिला एक उत्पाद" पर फोकस करेंगे।
10. वर्षासिंचित क्षेत्रों में एकीकृत कृषि प्रणाली का विस्तार किया जाएगा। गैर–फसल सीज़न में बहुस्तरीय पैदावार, मधुमक्खी पालन, सौर पंप, सौर ऊर्जा निर्माण को शामिल किया जाएगा। ज़ीरो बजट प्राकृतिक कृषि (जिसका जुलाई 2019 के बजट में उल्लेख किया गया था) को भी शामिल किया जाएगा। "जैविक खेती" पर पोर्टल–ऑनलाइन राष्ट्रीय जैविक उत्पादन बाजार को भी सुदृढ़ किया जाएगा।
11. ई–निगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसीट (ई–एनडब्ल्यूआर) पर किया जाने वाला वित्तपोषण 6000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। इसे ई–नाम के साथ एकीकृत किया जाएगा।
12. गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी) कृषि ऋण के क्षेत्र में सक्रिय हैं। नाबार्ड की पुनःवित्तपोषण स्कीम का विस्तार किया जाएगा। वर्ष 2020–21 के लिए कृषिगत ऋण का लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री–किसान योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को केसीसी स्कीम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
13. हमारी सरकार वर्ष 2025 तक मवेशियों के खुर और मुंह में होने वाली बीमारी ब्रूसिलोसिस तथा भेड़ और बकरियों को होने वाली पेस्टे पेटिट्स रुमिनेंट (पीपीआर) नामक बीमारी को खत्म करने की मंशा रखती है। कृत्रिम गर्भाधान का कवरेज वर्तमान 30 प्रतिशत से बढ़कर 70 प्रतिशत किया जाएगा। मनरेगा को चारागार के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा, हम 2025 तक दूध प्रसंस्करण क्षमता 53.5 मिलियन मीट्रिक टन से दुगुना करके 108 मिलियन मीट्रिक टन करेंगे।
14. **नीली अर्थव्यवस्था** : हमारी सरकार समुद्री मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव करती है। इससे विकास होगा और प्रभावी संरक्षण भी होगा। समुद्र में मछुआरों की सुरक्षा, सुस्थिरता और उत्तरदायी समुद्र मत्स्य पर फोकस किया जाएगा।
15. तटीय क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को मत्स्य प्रसंस्करण और विपणन के जरिए लाभ मिलता है। वर्ष 2022–23 तक, मैं मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन कराने का प्रस्ताव करती हूं। शैवाल, समुद्री खरपतवार उगाने तथा केज कल्चर को भी बढ़ावा दिया जाएगा। हमारी सरकार युवाओं को 3477 सागर मित्रों तथा 500 मत्स्य–पालक उत्पादक संगठनों के माध्यम से फिशरी एक्सटेंशन में शामिल करेगी। हम आशा करते हैं कि 2024–25 तक मछली निर्यात बढ़कर 1 लाख करोड़ रुपये तक हो जाएगा।
16. गरीबी उपशमन की दीन दयाल अन्त्योदय योजना के अंतर्गत 58 लाख स्वयंहायता समूहों (एसएचजी) को जोड़ा गया है। हम एसएचजी का ओर विस्तार करेंगे।

स्रोत : indiabudget.gov.in